माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने के लिए डीपीआर बनेगी

सात हजार करोड़ रूपए की परियोजना से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर की पेयजल समस्या का स्थाई निदान होगा

जयपुर, 6 अगस्त। पाली, जालोर, सिरोही बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब मूर्त रूप लेगा। इस विषय को लेकर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में सात हजार करोड़

- मुख्यमंत्री भजनलाल, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने परियोजना के बारे में विस्तार से ब्रीफ किया।
- वाप्कोस ने परियोजना की इन्सपैक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग को सौंपी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बुधवार को सुमेरपुर विधायक व केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने एक बैठक में माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाले सात हज़ार करोड़ रूपए के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा की।

रुपए के इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के संबंध में चर्चा हुई।

बैठक के बाद केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माही एवं सोम नदी का मानसून अवधि का अधिशेष जल, जयसमंद बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए जवाई बांध तक लाने संबंधी कार्य की, 2024-25 के बजट में घोषणा की थी। इस परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए 15.60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जल संसाधान विभाग, जयपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। इस कार्य के लिए अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खंड सलूंबर ने वाप्कोस लिमिटेड से अनुबंध कर कार्यादेश भी जारी कर दिए। इसके बाद वाप्कोस द्वारा इन्सपेक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग, उदयपुर को प्रस्तुत किये जाने के बाद विभाग ने उसका अनुमोदन भी कर दिया है।

केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सात हजार करोड़ रुपए का यह महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा होने पर उदयपुर, सिरोही, पाली एवं जोधपुर जिले में पेयजल संबंधी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही, 16 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का पुर्नस्थापन होगा।

सीजेआई गवई का सीनियर वकीलों को अल्टीमेटम

नई दिल्ली, 06 अगस्त। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी आर गवई ने बुधवार, 6 अगस्त 2025 को साफ कर दिया कि 11 अगस्त से कोई भी सीनियर वकील उनकी अदालत में तत्काल सुनवाई के लिए मामले नहीं ला सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका मिल सके।

सीजेआई गवई ने वकीलों की ओर से तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई

- गवई ने कहा, 11 अगस्त से मेरे कोर्ट में कोई भी सीनियर वकील तत्काल सुनवाई के लिए केस नहीं ला सकेगा।

के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया था, जिसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बंद कर दिया था।

सीजेआई गवई ने कहा, "इस बात की पुरजोर मांग उठ रही है कि सीनियर वकीलों को किसी भी मामले में तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन न किया जाए।"

उन्होंने अदालत के कर्मचारियों से कहा कि वे एक नोटिस जारी करें कि सोमवार से उनकी अदालत में किसी भी वरिष्ठ वकील को तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई के लिए मामलों का लाने की इजाजत नहीं होगी।

सीजेआई ने कहा सोमवार से किसी भी सीनियर वकील, किसी भी नामित सीनियर वकील को मामलों का उल्लेख करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका दिया जाना चाहिए।

मैडिकल बोर्ड में 29 में से 24 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगिरी के लिए अनफिट निकले

जयपुर, 6 अगस्त । एसओजी ने सरकारी नौकरी में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एसओजी पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली कि विगत समय से विभिन्न सरकारी नौकरियों में अनेक चयनित उम्मीदवारों ने दिव्यांग नहीं होते हुए भी फर्जी तरीके से बनवाया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है।

सूचना मिलने के बाद एसओजी अतिरक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा के नेतृत्व में जांच दल गठित कर एसएमएस मैडिकल कॉलेज के विभिन्न विशेषज्ञों का बोर्ड गठित करवा कर दिव्यांग श्रेणी के लोक सेवकों की पुन: मैडिकल जांच करवाई गई, जिसमें 29 दिव्यांग लोक सेवकों की मैडिकल जांच कि रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें से मात्र 5 लोक सेवकों में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना पाया

- एसओजी ने दिव्यांगत प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी पाने के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया।
- सबसे ज्यादा अनफिट कर्मचारी श्रव्य बाधित श्रेणी में पाए गए।

गया और बाकी 24 तथाकथित दिव्यांगों को मैडिकल बोर्ड ने दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट बताया। श्रव्यबाधित 13 में से 13 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए। दृष्टिबाधित कथाकथित 8 दिव्यांग में से 6 दिव्यांग कैटेगरी के नहीं पाए गए। इसी तरह लोकोमोटर एवं अन्य प्रकार के 8 लोक सेवकों में से 5 दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए।

अनफिट पाए गए लोक सेवक हैं- महेन्द्र पाल पुत्र गिरधारी सिंह, तहसील पुलिस थाना भीम राजसमंद; सवाई सिंह गुर्जर टिगरिया का पुरा, हिण्डौन, करौली; हन्दु गुर्जर चंदवाजी जयपुर; मनीष कुमार कटारा बरौली, रुपवास, भरतपुर; केशव उर्फ खुब्बाराम रेनवाल; कविता रेनवाल; बिकेश कुमार नदबई, भरतपुर; भानुप्रताप कटारा, रुपवास; नफीस जुरहरा, भरतपुर; रणजीत सिंह बयाना, भरतपुर; कलुआ राम बयाना भरतपुर; पवन कुमार आबूरोड सिरोही; विनोद कंवर आबू रोड सिरोही; दिनेश कुमार, धौरीमन्ना बाड़मेर; लोकेश नदबई भरतपुर; संजय नोखा बीकानेर; दीपू डीडवाना, कुचामन; गेपू बलूपुरा पाली; प्रशांत सिंह गांधी नगर सिरोही; छिन्द्रपाल सिंह केसरीसिंहपुरा गंगानगर; आसी कुमारी मारुडी, बाड़मेर; डॉ शंकर लाल मीणा देवपुरा बूंदी; जगदीश चौधरी रुपनगढ जिला अजमेर; किशोर सिंह सबलपुर डीडवाना कुचामन।

एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक बयान में बताया कि 1 अक्टूबर से एयर इंडिया के सभी इंटरनेशनल फ्लाइटों की आवाजाही पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक अक्टूबर से एयर इंडिया के इंटरनेशनल विमानों की आवाजाही 12 जून से पहले वाली स्थिति में आ जाएगी।

अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के, इंटरनेशनल के साथ-साथ, घरेलू विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ा था। दुर्घटना के बाद, एयर इंडिया ने सुरक्षा जांच लंबित रहने तक अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आंशिक रूप से रोक दिया था।

समुद्री माल परिवहन बिल पर संसद की मुहर

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। भारत से शेष दुनिया के समुद्री बंदगाहों तक माल ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों और अधिकार तथा छूट से संबंधित प्रावधानों वाले समुद्री माल परिवहन विधेयक को बुधवार को राज्य सभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही, इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गयी। इस विधेयक को लोक सभा ने गत 28 मार्च को पारित किया था।

राज्य सभा में आज शून्यकाल के दौरान पहले स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे कार्यवाही पुन: शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच पीठासीन उपसभापति भुवनेश्वर कलिता की अनुमति से मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चल रहे मणिपुर के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्यय का ब्योरा रखा। हंगामे के बीच ही, विधायी कार्य के एजेंडा में पहले स्थान पर उल्लिखित समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पर चर्चा करायी गयी। इस विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के कतिपय संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज करने के बाद, विधेयक को ध्वनिमत से अनुमोदित कर दिया गया।

विपक्ष ने संसदीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन झूठे दावों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है, जो संसद को सुचारू रूप से चलने से रोक रहे हैं।"

गोगोई ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि 1961 में राज्यसभा में चुनाव आचार संहिता के नियमों में संशोधन पर बहस हुई थी, उस चर्चा का नेतृत्व उस समय के कानून मंत्री गोपाल स्वरूप पाठक ने किया था।

गोगोई ने बताया कि 1981 में, कांग्रेस सांसद मनुभाई पटेल ने चुनावी कानूनों की समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा था।

कांग्रेस सांसद ने कहा, "1991 में, राज्यसभा में मौजूदा चुनावी कानूनों में संशोधन की तत्काल आवश्यकता पर बहस हुई। 2015 में, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए प्रॉक्सी और ई-पोस्टल वोटिंग पर "कॉलिंग अटेंशन मोशन" प्रस्तुत किया था। कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने विपक्ष की राय को मानने की बात स्वीकार की।"

गोगोई ने कहा कि हाल ही में, 2019 में भी चुनावी सुधारों पर "अल्पकालिक चर्चा" हुई थी, जिसमें तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाग लिया था। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। सरकार को इस लंबे समय से लंबित और आवश्यक बहस में देरी नहीं करनी चाहिए।

गोगोई ने कहा, "आइए, संसद में चुनावी सुधारों पर चर्चा करें।"

रमेश ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि 1986 में भी व्यापक चुनावी सुधारों की आवश्यकता और संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने पर चर्चा हुई थी।

हाई कोर्ट के आदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यहां तक कि जब इस रिपोर्टर की खबर को कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वेबसाइट पर कुछ जूनियर स्टाफ द्वारा डाला गया, तो उसे कुछ ही मिनटों में हटा दिया गया। क्या पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की इसमें राजीव दत्ता के साथ कोई मिलीभगत है?

यह खबर हटाने का निर्देश देने के पीछे आखिर उनकी रूचि का क्या कारण था?

इसके अलावा, हैरानी की बात यह भी है कि कोटा या राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता ने, दिल्ली, जयपुर और कोटा में सत्ता के गलियारों में जो चल रहा है, उस पर कुछ भी नहीं कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू की "विद यू स्टालिन" योजना को हरी झंडी दी

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की "विद यू स्टालिन" योजना में वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नाम के इस्तेमाल पर रोक वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को रद्द दिया।

इसके साथ ही अदालत ने सरकारी योजना के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले अन्नाद्रमुक सांसद सी.वी. षणमुगम पर अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए, उसके खिलाफ राज्य सरकार और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) पार्टी की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा, हमने बार-बार कहा है कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक हिसाब-किताब निपटाने के लिए किया जाना चाहिए। इस आदेश के साथ ही शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की विद यू स्टालिन योजना हरी झंडी दे दी।

'अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए राज्य सरकारें चार हफ्ते में अधिसूचनाएं जारी करें'

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे अनाथ, कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के तहत मुफ्त शिक्षा देने की अनुमति संबंधी अधिसूचनाएं चार सप्ताह के अंदर जारी करें।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और

- सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को, कमजोर वर्गों को शिक्षा के लिए दिए गए 25 प्रतिशत कोटा में शामिल करने के निर्देश दिए

न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने अधिवक्ता पौलोमी पाविनी शुक्ला की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा, दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात ने पहले ही अनाथ बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बाकी राज्य भी इस संबंध में प्रक्रिया चार सप्ताह के भीतर पूरी कर लें। शीर्ष अदालत ने राज्यों को उन अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दियाद्ध जिन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया गया है और जिन्हें दाखिले से मना कर दिया गया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संबंधित सर्वेक्षण में दाखिले से इनकार करने के कारण दर्ज किये जाएं।

उत्तरकाशी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के जगह-जगह अवरुद्ध हो जाने के कारण अनेक वाहन अब भी रास्ते में फंसे हुए हैं। हर्षिल स्थित सेना के कैंप में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे क्षेत्र में लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। जैसे-जैसे खोज और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि मृतकों के आँकड़े में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। उत्तरकाशी इस समय हाल के वर्षों की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है।

'वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्यौरा शनिवार तक पेश करें'

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिए

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह विशेष पुनरीक्षण के दौरान बिहार मतदाता सूची से हटाये गए 65 लाख लोगों (मृत और स्थायी पलायन करने वाले) का विवरण शनिवार तक दे।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुयान और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण की गुहार पर यह निर्देश दिया।

पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा, शनिवार तक जवाब दाखिल करें और भूषण को इसे देखने दें। फिर हम देख पाएंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं।

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी जाएगी।

इस पर चुनाव आयोग के

- चुनाव आयोग ने कहा कि राजनैतिक दलों को यह जानकारी दी गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन दलों की लिस्ट मांगी जिन्हें यह जानकारी दी गई है।

अधिवक्ता ने कहा कि वह प्रस्तुत करेगा कि यह जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जानकारी साझा की गई है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वह अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखे।

पीठ ने निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता से कहा, उन राजनीतिक दलों की सूची दीजिए, जिन्हें यह जानकारी दी गई है। हम 12 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। तब तक अपना (निर्वाचन आयोग का) जवाब दाखिल करें।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की चिंताओं पर कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी मिले।

एडीआर ने अपने आवेदन में कहा कि 25 जुलाई को निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया था कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

भूषण ने पीठ के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा, ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख नामों के छूटने की बात कही गई है, लेकिन इन नामों की कोई सूची नहीं दी गई। इसमें 32 लाख लोगों के पलायन की बात कही गई, लेकिन कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, उन्हें (चुनाव आयोग) यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं? कौन पलायन कर गए हैं। कौन मर गए हैं? जाहिर है, बीएलओ ने उस व्यक्ति को हटाने या न हटाने की सिफ़ारिश की है। भूषण ने दलील दी थी कि चुनाव आयोग ने दो निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। अन्य क्षेत्रों का क्या हुआ?

ट्रंप ने भारत पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की धमकियों के आगे झुकने से दृढ़ता से इनकार कर दिया है।

"इस बात को स्वीकार करो या नहीं", भारत अब दुनिया की प्रमुख भू-राजनीतिक शक्तियों के क्लब में आ गया है और इस पोज़ीशन के लिए कीमत तो भारत को चुकानी ही पड़ेगी। जब भारतीय निर्यात अमेरिकी बाजारों से बाहर हो जाएंगे, तो भारत को दूसरे बाजार तलाशने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

जहाँ एक तरफ भारत के अडिग रुख और अस्थिर स्वभाव वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे झुकने से इन्कार करने की कुछ हल्की सराहना जरूर हो रही है, वहीं, प्रतिक्रियाएं कुछ दबी-दबी हैं, सिवाय व्यापार और भू-राजनीति के, जो अब पूरी तरह एक-दूसरे से जुड़ चुके हैं।

ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस समय मॉस्को में पुतिन से बातचीत कर रहे हैं और मंगलवार को दोनों की मुलाकात को क्रेमलिन के प्रवक्ता ने "रचनात्मक" बताया है। भारत, ट्रंप की रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का पहला "भू-राजनीतिक शिकार" बन गया है। भारत की स्थिति यह हो गई है कि वह अब रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, ऐसा करना बहुत अधिक झुकना होगा और भारत के अपने हितों को नुकसान पहुंचेगा।

अमेरिका को होने वाले निर्यात में कुछ असर पड़ने की तुलना में, तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूंढना भारत के लिए कहीं ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आखिरकार, अमेरिकी निर्यात भारत की समग्र अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा हिस्सा है और भारत की अर्थव्यवस्था उतनी निर्यात-निर्भर नहीं है, जितनी कुछ अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं।

इस अतिरिक्त टैरिफ के बारे में पहले से ही अनुमान था, लेकिन खास बात यह रही कि ट्रंप ने चीन पर ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया, जिससे एक बार फिर उनकी "टी.ए.सी.ओ." (ट्रंप ऑलवेज़ चिकन्स आउट) अर्थात् ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं, वाली छवि चरितार्थ होती हैं। चीन ने बहुत चतुराई से सेकन्डरी प्रतिबंधों से बचाव कर लिया, क्योंकि वह इस समय अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में शामिल है। यह बात तर्क से परे है, क्योंकि चीन तो रूस के युद्ध का कहीं अधिक मुखर और प्रभावी समर्थक रहा है।

महेश जोशी की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए 8 अगस्त का समय दिया है।

'जैसलमेर को तो मुगल भी नहीं जीत पाए थे'

जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने एन.सी.ई.आर.टी के नक्शे में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का अंग बताने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की

जैसलमेर, 06 अगस्त। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान विषयक पाठ्यपुस्तक में राजस्थान में जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य के मानचित्र में दर्शाए जाने को लेकर जैसलमेर राजपरिवार के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है।

सिंह ने इसे ऐतिहासिक रूप से भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर त्रुटि करार देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इसमें तत्काल संशोधन करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों, राजकीय अभिलेखों एवं अन्य प्रामाणिक स्त्रोतों में जैसलमेर में मराठा साम्राज्य के किसी प्रकार के प्रभुत्व, कराधान, आक्रमण या हस्तक्षेप का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, राजकीय पुस्तकों में भी स्पष्ट उल्लेखित है कि जैसलमेर रियासत में मराठाओं का कभी भी, कोई दखल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी जैसी शीर्ष शैक्षणिक संस्था द्वारा इस प्रकार की ऐतिहासिक त्रुटि करना, उसकी

- एन.सी.ई.आर.टी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में पेज क्रमांक 7 पर छपे इस नक्शे में जैसलमेर, बूंदी, मेवाड़ व पंजाब को मराठा साम्राज्य के अधीन बताया गया है।
- मेवाड़ राजघराने के सदस्य व भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, बूंदी राजघराने के ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, यह हमारे पूर्वजों के बलिदान को धूमिल करने की कोशिश है।

विश्वसनीयता और अकादमिक गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है।

सिंह ने कहा कि यह विषय केवल एक मानचित्र की गलती नहीं, बल्कि जैसलमेर की ऐतिहासिक गरिमा, सांस्कृतिक अस्मिता और विद्यार्थियों को दिये जाने वाले ज्ञान की सत्यता से जुड़ा विषय है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस मानचित्र के संबंध में हस्तक्षेप करने की मांग की।

राज परिवार के विक्रम सिंह ने बताया कि जैसलमेर के दर्ज इतिहास के अनुसार- मुगल भी जैसलमेर को नहीं जीत पाये थे। जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में साल 1176 के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल-जैसल ने की थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहां भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंश क्रम को भंग किए हुए 770 वर्ष तक सतत शासन किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसलमेर राज्य ने भारत के इतिहास के कई काल खण्डों को देखा एवं सहा है। यह राज्य मुगल साम्राज्य में भी लगभग 300 वर्षों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा।

जैसलमेर शहर पर खिलजी, राठौर, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया था, लेकिन वे कभी इसे जीत नहीं पाए। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से लेकर समाप्ति तक भी इस राज्य ने अपने वंश गौरव एवं महत्व को यथावत रखा। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य और भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, उनकी पत्नी एवं राजसमंद से भाजपा सांसद महिमा कुमारी, बूंदी के पूर्व राजघराने के सदस्य ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने एनसीईआरटी के शिक्षाविदों पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह पूर्वजों के बलिदान को धूमिल करने का प्रयास है।

उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी के इस नक्शे में जैसलमेर, बूंदी, मेवाड़, पंजाब सहित देश के कई हिस्सों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है। यह नक्शा एनसीईआरटी की आठवीं की सामाजिक विज्ञान की किताब इकाई-तीन में पेज नंबर 71 पर छपा है। इस नक्शे पर पूर्व राजघरानों ने आपत्ति दर्ज कराई है।

एस.सी.ओ. सम्मेलन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की आवश्यकता के साथ संतुलित करना, भारत-चीन संबंधों की परिपक्वता की परीक्षा होगी। भारत के लिए यह यात्रा चीन की पाकिस्तान नीति पर असंतोष जताने के साथ-साथ व्यापार, तकनीक और बहुध्रुवीय वैश्विक शासन पर साझा सोच तलाशने के लिए भी होगी।

मोदी की चीन यात्रा भारत की व्यापक विदेश नीति में एक पुनर्मूल्यांकन का प्रतीक है, जो एक ध्रुवीकृत होते जा रहे विश्व में रणनीतिक लचीलापन बनाए रखने की कोशिश को दर्शाता है। वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच यह संतुलन भारत की अगली कूटनीतिक दिशा को परिभाषित कर सकता है।

इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के साथ बातचीत में आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दे शामिल रहने की संभावना है। भारत-चीन संबंधों में स्थिरता और संवाद बहाल करने की कोशिशें की जाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं।

अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा तनाव कम करने के प्रयास तेज़ हुए थे और कैलाश-मानसरोवर यात्रा की बहाली ने संबंधों को काफी हद तक सामान्य बनाने में मदद की थी।

2001 में स्थापित एससीओ का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को सहयोग के माध्यम से बढ़ावा देना है। इस समूह के वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं- बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान।

प्र.मंत्री ने कर्तव्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होंगे।

कर्तव्य भवन में पानी की ज़रूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल के उपचार और पुन: उपयोग की व्यवस्था की गयी है। यह भवन 30 प्रतिशत कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें इमारत को ठंडा रखने और बाहरी शोर को कम करने के लिए विशेष कांच की खिड़कियाँ हैं। ऊर्जा-बचत करने वाली एलईडी लाइटें, ज़रूरत न होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें और बिजली के उपयोग को प्रबंधित करने की एक उन्नत प्रणाली है। कर्तव्य भवन-3 की छत पर लगे सौर पैनल हर साल 5 लाख 34 हजार यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा करेंगे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908